कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2024/[illegible] लखनऊ दिनांक [illegible]-2024

–कार्यालय ज्ञाप–

[illegible]

[illegible]

" निजी क्षेत्र में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2024–25 हेतु पीसीआई द्वारा उन्हें तत्सम्बन्धी अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनको पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता की सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं [illegible] पीसीआई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

[illegible]

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई द्वारा सत्र 2024-25 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद/समिति द्वारा सत्र 2024-25 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible]

शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की स्वीकृति वर्ष से लागू होगी।

- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संस्थाओं तथा उन सम्बद्ध संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) नियमावली-2008 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में शासन प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की मान्यता यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस दशा में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पक्ष उत्तर दिया जाता है तथा इसके संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था को वहन करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनमें प्रवेश की (काउंसलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत आरक्षण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, शासक, छात्र संख्या, संस्थान, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, सम्बद्धता शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के साथ फैकल्टी रोस्टर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था में प्रस्तावित/सम्बन्धित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि उनका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रो0 [illegible] सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्रा0शि0प/सम्बद्ध शाखा/2020/ 1405-3141   तद् दिनांक- [illegible]

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, [illegible] इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, [illegible] बहराइच।

(प्रो0 [illegible] सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 | लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2238-SANJIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KIRTANPUR, BAHRAICH

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्जी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

[illegible]

[illegible]